

जिला अलवर दिनांक 6/7/18 को 01/12 2018 को 6/7/18
राजस्व वाद संख्या 01/12 2018 को 6/7/18
न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर। थानागाजी (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 01/12

तारीख दायर :- 15/01/2018

उनवान

1. रामकँवार पुत्र सुल्तान जाति गुर्जर निवासी कालाखोरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

-वादी।

बनाम

1. हरीयाराम पुत्र दुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबली तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान एवं हाल आबाद कालाखोरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

2. हीरालाल पुत्र सोणाराम जाति गुर्जर निवासी कालाखोरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

- असल प्रतिवादीगण।

3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार थानागाजी भू-स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

-तकमीली प्रतिवादी

॥ दावा अर्न्तगत धारा 53,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ॥

उपस्थिति :-

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादी।

2. श्री ख्यालीराम गुर्जर प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

न्यायालय द्वारा :-

निर्णय

दिनांक:-06.07.2018

दावा वादी पूर्व में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुरेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर किसी के द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दावा वादी कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

क्र.स.	नाम पक्षकारान	विवादित आराजी वार्क ग्राम कालाखोरा
1.	रामकँवार पुत्र सुल्तान कौम गूजर सा.देह खातेदार राहिन C.B.I शाखा नारायणपुर मु.वि.क.	आ.ख.नं. 556/2 रकबा 0.14 है0 568 रकबा 0.11 है0 किता 2 रकबा 0.25 है0
2.	हरियाराम पुत्र दुल्लाराम कौम गूजर निवासी डाबली तहसील व जिला अलवर हाल आबाद कालाखोरा तहसील थानागाजी राहिन पी.एन.बी. शाखा थानागाजी मु.वि.क.	आ.ख.नं. 556/1 रकबा 0.10 है0

तहसीलदार थानागाजी उपरोक्त अनुसार रात्तजत रिपोर्ट में नाराज

प्रमाणित प्रतिलिपि

थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय में सुनाया जाकर

लिखाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय में सुनाया जाकर